एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए मांग के आधार पर टैक्सी सेवाओं में नियुक्ति हेतु एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर)

दिनांक: 01/02/2024

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम राज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन है और मांग के आधार पर आधिकारिक उपयोग हेतु टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए एजेंसियों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम राज्य भी विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए सरकारी GeM पोर्टल पर पंजीकृत है। वे विक्रेता जो सरकारी GeM पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे भी पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं और वे निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

1. दो बोली प्रणाली के अंतर्गत मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण: असम राज्य के गुवाहाटी में एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए गुवाहाटी, असम राज्य क्षेत्र से पंजीकृत एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं से मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। वाहनों की आवश्यकता का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	आवश्यक विवरण	वाहनों की संख्या	टैक्सी की श्रेणी
1	मांग के आधार पर टैक्सियों की आवश्यकता	आवश्यकतानुसार, विक्रेता को समय-समय पर एपीडा की आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में टैक्सियाँ प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।	मारुति डिजायर/इनोवा/ या समकक्ष कार

2. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : निम्नलिखित अनुसूची अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि:

1	एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय , गुवाहाटी, असम में बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय।	23 फरवरी 2024, सायं 4:00 बजे तक।
2	प्रस्तुत की जाने वाली बोली	**श्री बी के बरुवा** **उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय प्रमुख),** **एपीडा गुवाहाटी,**

		हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, वेस्ट एंड ब्लॉक बिल्डिंग, चौथी मंजिल, बेलटोला- बसिष्ठा रोड, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006, असम
3	बोलियां (तकनीकी एवं वित्तीय) खोलने की तिथि और समय।	26 फरवरी, 2024, दोपहर 2:30 बजे इच्छानुसार फर्मों/एजेंसियों के प्रतिनिधि निर्धारित समय के अनुसार बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस संबंध में कोई अलग से आमंत्रण/सूचना जारी नहीं की जाएगी।

बोली जमा करने की निर्दिष्ट तिथि के मामले में या कार्यालय में छुट्टी या बंद का दिन घोषित किया जाता है, तो बोलियां अगले कार्य दिवस पर नियत समय अर्थात शाम 4:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।

3. दो बोली प्रणाली: बोली निम्नानुसार दो भागों में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए:

क. तकनीकी बोली:-

i. तकनीकी बोली केवल अनुलग्नक-I में दिए गए निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाए।
ii. तकनीकी बोली को खंड सं. 4 में उल्लिखित पात्रता मानदंड की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
iii. काल्पनिक/सशर्त अपूर्ण तकनीकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
iv. तकनीकी बोली पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर लगायी जानी चाहिए।
v. तकनीकी बोली के ऊपर अनुलग्नक- I में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में **"एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम को गैर एसी/एसी टैक्सियों की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली"** लिखा होना चाहिए।

ख. वित्तीय बोली:-

i. वित्तीय बोली अनुलग्नक -II में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
ii. वित्तीय बोली के कवर/लिफाफे के ऊपर **"एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम को नॉन एसी/एसी टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय बोली"** लिखा होना चाहिए।
iii. बोलीदाताओं को अपनी सशर्त दरें अनुलग्नक- II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उद्धृत करनी चाहिए। कटिंग/ओवरराइटिंग, यदि कोई हो , स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत संख्यांकन, मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।
iv. जीएसटी/करों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।

ग. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को बोलीदाता द्वारा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद किया जाना चाहिए और इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए , जिस पर

विधिवत **"एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम को नॉन एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोली"** लिखा होना चाहिए।

4.पात्रता मानदंड:

क्र. सं.	**आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज़ों का विवरण**	**एपीडा द्वारा निर्धारित मानदंड**
1	फर्म के नाम पर या कंपनी के नाम पर पंजीकृत वाहनों की न्यूनतम संख्या जिसके साथ उनका वाहनों की आपूर्ति के लिए औपचारिक अनुबंध है (100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत)। कंपनी/फर्म के नाम पर टैक्सी/कारों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की असल प्रतियां विधिवत स्वप्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर जमा की जानी चाहिए।	न्यूनतम 05 (पाँच) टैक्सियाँ अनिवार्य हैं। हालाँकि, विक्रेता को समय-समय पर एपीडा की आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में टैक्सियाँ प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
2	न्यूनतम 5 वर्ष पुरानी फर्म। [सत्यापन के लिए 1 फर्म के पंजीकरण/पैन या किसी अन्य सरकारी दस्तावेजी प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रतियां जमा करें।]	अनिवार्य
3	जीएसटी पंजीकरण। [जीएसटी प्रमाणपत्र की असल प्रति विधिवत स्वप्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर जमा की जानी चाहिए।]	अनिवार्य
4	स्थायी खाता संख्या [पैन]। [फर्म पैन की असल प्रति विधिवत स्वप्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर जमा की जानी चाहिए।]	अनिवार्य
5	ब्याज रहित बयाना राशि जमा [ईएमडी]। [ईएमडी को गुवाहाटी पर आहरित "एपीडा" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।]	50,000.00 रु. [ब्याज रहित]
6	फर्म/कंपनी की कंपनी प्रोफाइल। (फर्म/कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रासंगिक	अनिवार्य

	गतिविधियों के क्षेत्र में एक लेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म इस संबंध में कोई प्रासंगिक दस्तावेज भी जमा कर सकती है।	
7	ग्राहकों की सूची। ग्राहकों की सूची विधिवत स्व-प्रमाणित और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वप्रमाणित प्रस्तुत की जा सकती हैं।	अनिवार्य
8	बैंकर का विवरण। [बैंक का नाम/शाखा का पता/खाताधारक का नाम/खाता संख्या/सीए या एसबी बैंक खाता/आईएफएससी कोड संख्या] एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी , असम द्वारा दिए गए जॉब वर्क के लिए पैनल में शामिल होने के बाद आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए।	अनिवार्य
9	नॉन-ब्लैकलिस्टिंग का स्व प्रमाण पत्र। [संगठन/कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणीकरण कि उसे फर्म के मुद्रित लेटर हेड पर किसी भी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।]	अनिवार्य
10	आय कर रिटर्न (आईटीआर)। [पिछले 3 वर्षों के आईटीआर की असल प्रति विधिवत स्व-प्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर जमा की जानी चाहिए]	2020-21 रु. 2021-22 रु. 2022-23 रु.
11	पिछले 03 वर्षों का फर्म का टर्नओवर। • न्यूनतम टर्नओवर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए. •पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म के टर्न ओवर को प्रमाणित करते हुए एक योग्य सीए से बैलेंस शीट और सीए प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। सीए प्रमाणपत्र मूल रूप से सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।	2020-21 रु. 2021-22 रु. 2022-23 रु.

12	संबंधित क्षेत्र/सेवा/क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव। • फर्म के पास केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों आदि के विभिन्न कार्यालयों में लागू संबंधित क्षेत्र/सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। • संबंधित संगठन द्वारा दी गई संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के साथ पिछले 5 वर्षों के कम से कम 05 (पांच) कार्य आदेश संलग्न करें।	अनिवार्य
13	फर्मों/कंपनियों के लेटर हेड पर पर कवरिंग लेटर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो और मुहर लगाई गई हो।	फर्मों/कंपनियों के मुद्रित लेटर हेड पर बोली के साथ एक कवरिंग लेटर प्रदान किया जाना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
14	बोली कवर के ऊपर निम्नानुसार लिखें:- 1. मुहरबंद कवर संख्या एक - **"एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी , असम को गैर-एसी/एसी टैक्सियों की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली"।** 2. मुहरबंद कवर संख्या दो - **"एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी , असम को गैर-एसी/एसी टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय बोली"।** 3. तकनीकी और वित्तीय बोलियों वाला मुहरबंद मास्टर कवर - **"एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, असम को गैर-एसी/एसी टैक्सियों की आपूर्ति के लिए बोली"।** मास्टर कवर सहित तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए बोली और उसके कवर को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर दिशानिर्देशों के अनुसार लिखा होना चाहिए।	अनिवार्य

5. बयाना जमाराशि (ईएमडी)

5.1 किसी भी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक से गुवाहाटी , असम में देय "एपीडा" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की ईएमडी बोली के साथ जमा की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना या किसी अन्य रूप में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली खारिज कर दी जाएगी।

5.2 ईएमडी ब्याज रहित होगी और निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम के पास रखने की अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5.3 ईएमडी अंतिम निविदा वैधता अवधि के बाद कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

5.4 यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है या उसमें संशोधन कर लेता है या अपनी बोली की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में बोली को ख़राब या नष्ट कर देता है, तो बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त , यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर **50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की अपेक्षित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति** प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

5.5 निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और सफल बोलीदाताओं को उनसे कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के बाद अनुबंध सौंप दिया जाएगा।

6. कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

6.1. सफल बोलीदाता को, उसके पंजीकरण की स्थिति आदि के बावजूद , अनुबंध प्रदान किए जाने के 10 दिनों के भीतर गुवाहाटी , असम पर आहरित "एपीडा" के पक्ष में स्वीकार्य रूप में वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

6.2. कार्य-निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि या एक वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए वैध होनी चाहिए।

6.3. अनुबंध के सभी प्रकार से संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति बिना किसी ब्याज के विक्रेता को वापस कर दी जाएगी।

6.4. यदि फर्म अनुबंध के किसी भी नियम या शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है तो कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी, इसके अलावा उसे ब्लैक-लिस्ट में भी डाला जा सकता है।

6.5. यदि कोई बोलीदाता पहले से ही केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को टैक्सियाँ उपलब्ध करा रहा है तो उसका विवरण भी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. तकनीकी बोली में शामिल निम्नलिखित विवरण:

7.1. अनुबंधकर्ता के पास सरकारी/अर्धसरकारी/पीएसयू को वाहन उपलब्ध कराने का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए जिसमें संबंधित विभाग से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं माना जाएगा।

7.2. बोली के साथ पैन और जीएसटी नंबर की स्व-प्रमाणित प्रतियां और नवीनतम आयकर रिटर्न/सेवा कर प्रमाणपत्र की प्रति जमा की जानी चाहिए।

7.3. बोलीदाता से सभी नियम और शर्तों वाला प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

7.4. 50000/- रुपये की ईएमडी (पचास हजार रुपये मात्र)।

7.5. ट्रांसपोर्ट कंपनी/फर्म के नाम पर पंजीकृत सभी टैक्सियों की आरसी की प्रतियां जमा की जानी चाहिए।

7.6. बोलीदाता के पास कम से कम 05 वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दिए गए निर्देशों और नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और विचलन के साथ नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति की पुष्टि प्रस्तुत करें। यदि निविदा के नियमों और शर्तों से कोई विचलन है तो उन्हें विचार के लिए तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है।

8. अन्य नियम एवं शर्तें:

8.1 जोखिम किराया खंड:- यदि जिस फर्म को अनुबंध सौंपा जाता है वह आवश्यक संख्या में वाहनों की आपूर्ति करने में विफल रहती है , तो यह कार्यालय फर्म के जोखिम और लागत पर अन्य टैक्सी

स्टैंडों से टैक्सी किराए पर लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वैकल्पिक व्यवस्था और टेंडर मूल्य के बीच लागत का अंतर फर्म से समान रूप से वसूला जाएगा।

8.2 यदि अनुबंधकर्ता बोली जमा करने और उसकी उचित स्वीकृति के बाद , अर्थात अनुबंध सौंपे जाने के बाद, इन निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है , या अपनी संविदा अवधि को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी समय अनुबंध को अस्वीकार कर देता है तो एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम को बोलीदाता द्वारा जमा किए जाने पर ईएमडी या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार होगा।

8.3 प्रदान किए गए वाहन टैक्सी के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत होने चाहिए और उनके पास उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में यात्रा किए जाने वाले क्षेत्रों की उचित अनुमति होनी चाहिए और 4 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

8.4 संविदाकर्ता को अल्प सूचना पर/(30 मिनट के भीतर) टैक्सी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।

8.5 टैक्सियों में नियुक्त ड्राइवरों के पास परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी टैक्सी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए , अर्थात **फर्म/सेवा प्रदाता को अपनी लागत पर ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन कराना होगा और इस कार्यालय में जमा करना होगा** । उद्धृत सभी वाहनों के लिए अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे रोड टैक्स क्लीयरेंस , प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि मौजूद होने चाहिए। **सेवा प्रदाता को मोटर वाहन नियम 1989 में निर्धारित सभी प्रावधानों की पुष्टि करनी चाहिए।**

8.6 ड्राइवरों को हमेशा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी में मोबाइल फोन के साथ रहना चाहिए और उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए।

8.7 नियुक्त किए गए ड्राइवर को असम और अन्य एनईआर राज्यों के प्रमुख मार्गों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी होनी चाहिए।

8.8 ड्यूटी पर तैनात वाहनों को स्वच्छ स्थिति में रखना चाहिए। उपलब्ध कराए गए वाहन की सामान्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सीट आरामदायक होनी चाहिए। सीटें हमेशा स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले सीट कवर से ढकी रहनी चाहिए। यदि वाहन गंदा या मलीन अवस्था में पाया जाता है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.9 यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की खराबी की स्थिति में , संविदाकर्ता को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने पर टैक्सी खुले बाजार से किराये पर ली जाएगी और उस पर होने वाला खर्च संविदाकर्ता के मासिक बिल से काट लिया जाएगा।

8.10 विभाग के पास संविदाकर्ता को एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.11 अर्थदंड खंड: संविदाकर्ता द्वारा कार्य निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में अर्थात विभाग की पूर्ण संतुष्टि पर किसी भी समय किराये के आधार पर टैक्सियों की आपूर्ति , सक्षम प्राधिकारी के पास अनुबंध को रद्द करने या संविदाकर्ता को देय भुगतान को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने और जमा की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.12 बिलिंग गैराज/टैक्सी स्टैंड या निर्दिष्ट स्थान से शुरू और समाप्त होगी। सभी वाहनों को अधिग्रहण पर सबसे पहले डीलिंग ऑफिसर , डी/ओ एपीडा विभाग को रिपोर्ट करना होगा। जहां मीटर रीडिंग नोट की जाएगी और फिर रविवार या छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन गंतव्य के लिए प्रस्थान किया जाएगा। रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर वाहन सीधे निर्दिष्ट व्यक्ति को रिपोर्ट कर सकता है , जहां गैरेज/टैक्सी स्टैंड से मीटर रीडिंग उपयोगकर्ता से नोट कराई जानी चाहिए।

8.13 कभी-कभी, एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम को किसी सम्मेलन/बैठक के संबंध में विशिष्ट दिनों में अतिरिक्त संख्या में टैक्सियों की आवश्यकता हो सकती है। संविदाकर्ता को अन्य टैक्सी ऑपरेटरों के साथ आवश्यक गठजोड़ करके टैक्सियों की अतिरिक्त मांग की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और ऐसे अतिरिक्त वाहनों को अनुबंध दरों और शर्तों पर आपूर्ति की जानी चाहिए।

8.14 अनुबंध, अनुबंध सौंपे जाने की तारीख से दो वर्ष के लिए वैध होगा और पक्षों की आपसी सहमति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संपर्क की अवधि के दौरान किसी भी अन्य कारण से सिवाय बल उपाय परिस्थितियों के टैक्सियों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित दरों में बढ़ोतरी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.15 यदि किसी भी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी भी वाहन के चालक ने ड्यूटी स्लिप में ड्यूटी/यात्रा की शुरुआत या समापन के समय और किलोमीटर रीडिंग से संबंधित गलत प्रविष्टियां की हैं, तो ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार होगा। कार्यालय ऐसे वाहन के संबंध में उस दिन का पूरा भुगतान रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.16 प्रत्येक वाहन के लिए, ड्राइवर को एक लॉग-बुक बनाए रखना अपेक्षित है अर्थात सुबह से ड्यूटी तक दिन के दौरान की गई विभिन्न यात्राओं का विवरण अलग से रखना होगा और सभी प्रविष्टियों को उपयोगकर्ताओं से सत्यापित करवाना होगा। प्रत्येक माह में बिल जमा करते समय सत्यापन हेतु लॉग बुक सामान्य प्रशासन को दिखानी होगी।

8.17 टैक्सी किराए पर लेने के मामले में, 50 किलोमीटर या 5 घंटे को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक रोका जाता है तो उसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में , 'किमी' की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि उपयोग 5 घंटे के भीतर 50 किमी से ऊपर चला जाता है, तो शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त किमी के लिए होगा और वाहन को 'आधे दिन' का उपयोग माना जाएगा। यदि घंटों की संख्या 5 घंटे से अधिक हो जाती है , तो वाहन को 'पूरे दिन' के लिए किराए पर लिया गया माना जाएगा। फिर 'किमी' प्रयोग की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

8.18 यह निविदा दस्तावेज़ इस विभाग की वेबसाइट: www.apeda.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

8.19 निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में विभाग के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8.20 यदि कोई बोलीदाता बोली की शर्तों से सहमत नहीं है , तो बोलीदाता लिखित में इसका कारण बता सकता है। यदि बोली अस्वीकृत कर दी जाती है तो बोलीदाताओं को अपनी बोलियां अस्वीकार करने का कारण पूछने का भी अधिकार होगा।

8.21 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ की पृष्ठ क्रमांकन: [बोली और सभी दस्तावेजों की उचित पृष्ठ क्रमांकन एक बंच के रूप में की जानी चाहिए]। दस्तावेज़ों की इंडेक्सिंग (अनुक्रमणिका) भी उचित प्रकार से की जानी चाहिए।

8.22 अंतिम अनुबंध सौंपने से पहले, एपीडा अधिकारियों द्वारा सभी वाहनों की स्थिति और वाहनों के दस्तावेज़ का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

दिनांक: 1 फरवरी 2024

श्री बी के बरुवा
उप महाप्रबंधक
एवं क्षेत्रीय प्रमुख
एपीडा गुवाहाटी- 781006

तकनीकी बोली अनुलग्नक-I

क्र. सं.	पात्रता मानदंड का विवरण	फर्म/कंपनी द्वारा भरा गया विवरण	पृष्ठ सं.
1	संगठन/कंपनी का नाम (पंजीकरण दस्तावेज विधिवत स्व-प्रमाणित और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।		
2	मालिक/भागीदारों का नाम		
3	पिन कोड नंबर के साथ पूरा पत्राचार पता		
4	कंपनी/फर्म/बोलीदाता के नाम पर कम से कम 05 (पांच) टैक्सी/कारों का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) न्यूनतम 05 (पाँच) टैक्सियाँ अनिवार्य हैं। सभी आरसी की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए]। हालाँकि, विक्रेता को समय-समय पर एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम की आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में टैक्सियाँ प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।		
5	सम्पर्क करने का विवरण : टेलीफ़ोन नंबर : ईमेल पता : मोबाइल नंबर :		
6	फर्म की कंपनी प्रोफाइल/ (फर्म/कंपनी द्वारा क्षेत्र में की जा रही प्रासंगिक गतिविधियों का एक लेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म इस संबंध में कोई प्रासंगिक दस्तावेज भी जमा कर सकती है।		
7	ग्राहकों की सूची		

	संपर्क विवरण के साथ केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/कॉर्पोरेट कार्यालयों के ग्राहकों की सूची प्रस्तुत की जा सकती है।		
8	बैंकर का विवरण [बैंक का नाम/शाखा का पता/खाताधारक का नाम/खाता संख्या/सीए या एसबी बैंक खाता/आईएफएससी कोड संख्या] एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय , गुवाहाटी, असम द्वारा सौंपे गए जॉब वर्क के लिए पैनल में शामिल होने के बाद आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु।		
9	गैर-ब्लैकलिस्टिंग का स्व प्रमाण पत्र [संगठन/कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन कि उसे कभी भी किसी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है]		
10	फर्म का पंजीकरण न्यूनतम 5 वर्ष पुरानी फर्म। पंजीकरण प्रमाण पत्र/पैन/किसी अन्य सरकारी दस्तावेजी प्रमाण की प्रति विधिवत स्व प्रमाणित और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर संलग्न की जानी चाहिए।		
11	जीएसटी पंजीकरण जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति विधिवत स्व-प्रमाणित और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाकर संलग्न की जानी चाहिए।		
12	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन। पैन की प्रति विधिवत स्व-प्रमाणित और मुहर लगाकर संलग्न की जानी चाहिए।		
13	आयकर रिटर्न (आईटीआर) एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के विधिवत स्वप्रमाणित और मुहर लगाकर आयकर	2020-21 रु. 2021-22 रु.	

	रिटर्न की प्रतियां जमा करनी चाहिए।	2022-23 रु.	
14	पिछले 03 वर्षों का फर्म का टर्नओवर। • प्रत्येक वर्ष न्यूनतम टर्नओवर रु. 15.00 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए। • किसी योग्य सीए से बैलेंस शीट और सीए प्रमाणपत्र पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म के टर्नओवर को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीए प्रमाणपत्र मूल रूप से सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।	2020-21 रु. 2021-22 रु. 2022-23 रु.	
15	संबंधित क्षेत्र/सेवा/क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव। • फर्म के पास आवेदित संबंधित क्षेत्र/सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। • केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों आदि के विभिन्न कार्यालयों के कम से कम 05 (पांच) कार्य आदेश संलग्न करें।		
16	गुवाहाटी, असम पर आहरित "एपीडा" के नाम पर बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा/भुगतान आदेश आदि के माध्यम से ब्याज रहित बयाना जमाराशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र)। ईएमडी अनिवार्य है।	• संख्या • दिनांक • रुपये • बैंक का नाम • शाखा	
17	बोली कवर के ऊपर निम्नानुसार लिखें:- 1. मुहरबंद लिफाफा संख्या एक - "तकनीकी बोली" 2. मुहरबंद लिफाफा संख्या दो - "वित्तीय बोली" 3. मुहरबंद मास्टर कवर जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोलियां शामिल हैं - "नॉन-	अनिवार्य	

	एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोली"। मास्टर कवर सहित तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए बोली और उसके कवर को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर दिशानिर्देशों के अनुसार लिखा होना चाहिए।		

घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी प्रमाणित है और हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है। बाद में किसी भी तरह की कोई जानकारी या दस्तावेज़ नकली/गलत पाए जाने पर बोली को एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम द्वारा रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम के इस निविदा दस्तावेज़ के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर)

पूर्ण कंपनी रबर स्टाम्प सहित

फर्म का पूरा नाम

दिनांक:

वित्तीय बोली **अनुलग्नक-II**

क्र. सं.	विवरण	मारुति डिज़ायर/समकक्ष कारें		टोयोटा इनोवा/क्रिस्टा/ समकक्ष कारें	
		नॉन-एसी कार	एसी कार	नॉन-एसी कार	एसी कार
1	स्थानीय पूरे दिन की ड्यूटी 80 किमी एवं 08 घंटे।				
2	स्थानीय आधे दिन की ड्यूटी 50 किमी और 05 घंटे।				
3	आउटस्टेशन पूरे दिन की ड्यूटी [न्यूनतम 250 किलोमीटर] शुल्क। वास्तविक पर टोल और राज्य कर अतिरिक्त।				
4	ऊपर 1 और 2 के लिए स्थानीय ड्यूटी हेतु प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क				
5	उपरोक्त 3 हेतु आउटस्टेशन ड्यूटी के लिए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क				
6	ऊपर 1, 2 और 3 हेतु अतिरिक्त घंटों के लिए प्रति घंटे की दरें				
7	स्थानीय ड्यूटी हेतु ड्राइवर के लिए रात्रि शुल्क				
8	आउटस्टेशन ड्यूटी हेतु ड्राइवर के लिए रात्रि शुल्क				
9	जीएसटी/करों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए।				

घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी प्रमाणित है और हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है। बाद में किसी भी तरह की कोई जानकारी या दस्तावेज़ नकली/गलत पाए जाने पर बोली को एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम द्वारा रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा , क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम के इस निविदा दस्तावेज़ के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर)
पूर्ण कंपनी रबर स्टाम्प सहित
फर्म का पूरा नाम

दिनांक

अनलग्नक- III

एपीडा, गुवाहाटी के लिए मांग के आधार पर एसी/नॉन एसी टैक्सी सेवा किराए पर लेने के लिए एजेंसी के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र

1	संगठन का नाम	
2	पत्राचार पता	
3	संपर्क व्यक्ति	
4	संपर्क विवरण टेलीफोन नं./फैक्स नं. सेल नंबर: ईमेल:	
5	एजेंसी की प्रोफ़ाइल	
6	पेरोल पर ड्राइवरों का विवरण	
7	खंड 7.1 के अनुसार अनुभव (वर्षों की संख्या)।	
8	वाहनों की संख्या (वाहनों का स्वामित्व)	
9	वर्ष 2020 - 21, 2021 - 22 और 2 0 22 - 23 सहित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक बोलीदाता के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए , न कि समूह/संगठन के नाम पर।	
10	पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।	
11	स्थायी खाता सं. (स्वयं प्रमाणित प्रति)	
12	जीएसटी सं. (स्वयं प्रमाणित प्रति)	
13	टिन सं. (स्वयं प्रमाणित प्रति)	
14	टैन सं. (स्वयं प्रमाणित प्रति)	
15	ग्राहकों की सूची	
16	स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।	
17	बयाना जमाराशि (50,000/- रु.)	रु. दिनांक- डीडी. सं.
18	ट्रांसपोर्ट कंपनी/फर्म के नाम पर पंजीकृत सभी वाहनों की आरसी की प्रतियां	
19	अन्य प्रासंगिक विवरण	
20	संलग्नकों की सूची	

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है और उसमें कुछ भी सुधार नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो संगठन और न ही संगठन के किसी भी अधिकारी ने अनैतिक प्रथाओं और जांच/सतर्कता एजेंसियों/अदालतों का सहारा लिया है।.

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक--/--/----

कंपनी मुहर के साथ पदनाम

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 शाम 04:00 बजे तक है।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।